न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 12/18</u>                निर्णय दिनांकः 31.10.2018

1. सरूपकवंर उर्फ स्वरूप कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 17—06—1999**

**सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर**

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री अजय ओझा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 17—06—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

पूगल के चक 22 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 237/29 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त रकबे को 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—06—1999 के विरूद्व अपील 27—11—2017 को पेश की है। जो करीब 18 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—06—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 27—11—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 22 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 237/29 में 55 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का 35 प्रतिशत राशि 26766/— जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 8271 दिनांक 03—06—1999 को जारी कर दिनांक 17—06—1999 तक जमा कराने हेतु पाबन्द किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 17—06—1999 को निरस्त कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नियमानुसार वादगत् भूमि के आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि 26766/— जमा कराने हेतु व वांछित सबूत यथा वोटर लिस्ट 1971, 1975, 1980, 1985, 1993 व 1998 की प्रमाणित प्रति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, महिला आवेदक द्वारा पति/पिता का व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो आदि प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ

न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 17—06—1999 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर